

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी०ए० केश नं०- 38/18-19

मो० सिद्धीक बनाम् रैयान मौजा-धमड़ी

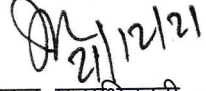
—: आदेश :-

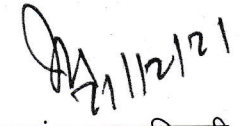
वर्तमान वाद आवेदक मो० सिद्धीक, पे०-स्व० आलमगीर मियां, त्ता०-पिरोजपुर, अंचल-मेहरमा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-05 के तहत मौजा-मादगीगोडा के ग्राम प्रधान बहाली हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक-779/रा०, दिनांक-24.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में प्रासंगिक मौजा खास है, जिस कारण उक्त मौजा में प्रधान की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।